संख्या- 8/2015/69/22-4-15-48(70)/94टीसी-3

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 19 जनवरी, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, आजमगढ हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 990/नम-5/44 वैल्यूम-IV, दिनांक- 14 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-06/2015/1289/22-4-14-48(70)/94टीसी-3, दिनांक 09 जनवरी, 2015 द्वारा निर्माणाधीन जिला कारागार, आजमगढ के पुनरीक्षित आगणन, जिसकी मूल्यांकित लागत रू0 1,15,09,96,000/-( रूपया एक अरब पन्द्रह करोड नौ लाख छियान्नवे हजार मात्र) है, की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2015 के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कुल रू0 29,15,94,000/- ( रूपया उन्तीस करोड पन्द्रह लाख चौरानवे हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समयबद्व रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 09.12.2011 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 09 जनवरी, 2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2015/69 (1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार( लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, आजमगढ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त ( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in